

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. : 07/2022 (राजस्व अपील)

GCMS NO : 2022/40

अनवान

1. श्री हलिया पिता स्व. श्री सवजी मीणा निवासी उगमणा कोटडा तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर।
2. श्री नाना पिता स्व. श्री अलकू मीणा निवासी उगमणा कोटडा तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती हन्तु बेवा सवजीराम मीणा, निवासी उगमणा कोटडा, तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर।
2. पटवारी, पटवार मण्डल गरनाला, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

— विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री विजय कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रा.पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत् निरस्त कराये जाने आवंटन आदेश दिनांक 18.02.2006 अन्तर्गत प्रकरण सं. 426/06

* निर्णय *

दिनांक – 31-03-2023

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा उगमणा कोटडा तहसील ऋषभदेव की आराजी नम्बर 551 रकबा 0.12 है. आराजी नम्बर 557 रकबा 0.63 है. जमीन विपक्षी संख्या 1 को जरिये आवंटन क्रमांक 426/2006 दिनांक 18.02.2006 को उपखण्ड अधिकारी महोदय, सलूम्वर जिला उदयपुर द्वारा आवंटित की गई जो वर्तमान जमाबंदी में विपक्षी संख्या 1 के नाम सम्पूर्ण हिस्से से संवत् 2075 से 2078 तक की जमाबंदी में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जिन शर्तों पर भूमि आवंटन की गई थी, विपक्षी संख्या 1 द्वारा उदक्त शर्तों की पालना नहीं की गई। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त शर्तों की पालना नहीं किये जाने से विपक्षी संख्या 1 को किया गया उक्त आवंटन निरस्त के योग्य है, और वेसे भी आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि आवंटन करने से पूर्व किसी



प्रकार की उद्घोषणा नहीं की गई और न ही नोटिस आम चौराहे एवं बोर्ड पर चस्पा किये गये और न एतराज प्राप्त हेतु समय सीमा निर्धारित की गई। विपक्षी संख्या 1 को मौजा उगमणा कोटडा, में स्थित आराजी नम्बर 551, 557 जमीन जो आवंटित की गई, वह राजनैतिक प्रभाव एवं सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से आवंटित की गई। आवंटित भूमि पर आवंटन कमेटी की ओर से पटवारी अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा आवंटन विपक्षी संख्या 1 को न तो कभी मौके पर कब्जा सिपूद किया गया और न ही विपक्षी संख्या 1 द्वारा मौके पर कब्जा प्राप्त किया। इस प्रकार आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की गई हैं, ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटित भूमि की शर्तों की पालना नहीं की गई है। इस कारण विपक्षी संख्या 1 को किया गया उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य हैं। विपक्षी संख्या 1 अपनी ताकत के बल पर प्रार्थी की कब्जेशुदा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और इस हेतु अपने ताकत के बल पर प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा है। प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 551 के हिस्से पर काबिज है, जो करीब 70-80 वर्षों से काबिज चले जा आ रहे है। पास में ही प्रार्थी का मकान बना हुआ है, जिसके सटमा उक्त आराजी है। उक्त आराजी के चारों तरफ थूर की बाड लगी हुई हैं, घास काटने एवं मवेशी चराने के लिये उपरोक्त आराजी का उपयोग प्रार्थी कर रहा हैं, और इस बाबत् मौका पर्चा रिपोर्ट भी तैयार की गई, जिसमें भी गावं के मौतबीराम द्वारा प्रार्थी का कब्जा बताया गया है। कभी भी विपक्षी संख्या 1 का कोई कब्जा नहीं रहा। इस बाबत् ग्राम पंचायत उगमणा कोटडा द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील ऋषभदेव को प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार साहब द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने बाबत् सूचित किया था। विपक्षी संख्या 1 द्वारा मौजा उगमणा कोटडा के आराजी नम्बर 551 का सम्पूर्ण हिस्सा आवंटन कराया है, वह फर्जी तरीके से एवं कपट पूर्वक तथ्यों को छुपाते हुए कराया गया है। विपक्षी संख्या 1 के पति सवजीराम सरकारी नौकरी में होकर आर्मी में कार्यरत थे, और उनके नाम राजस्व रेकार्ड में अन्य आराजियात भी दर्ज थी, उसके बावजूद सरकारी नौकरी में रहते हुए उक्त तथ्यों को छुपाते हुए जो उक्त भूमि आवंटित कराई गई हैं वह आवंटन कपट पूर्वक कराये जाने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटित भूमि पर आवंटी को काश्त करना आवश्यक हैं लेकिन आवंटी द्वारा आवंटन भूमि पर कभी कोई काश्त नहीं की गई। आवंटी काश्तकार नहीं है। वैसे भी आवंटी भूमिहिन काश्तकार भी नहीं थी उसके बावजूद आवंटन कमेटी में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर भूमि अपने नाम आवंटन करा दी। आवंटित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है ओर यह तथ्य राजस्व रेकार्ड एवं खसरा गिरदावरी से साबित होता है। विपक्षी संख्या 1 को किये गये आवंटन की कोई जानकारी प्रार्थी को नहीं थी। कथित आवंटन के आधार पर विपक्षी संख्या 1 अपनी ताकत के बल पर मुझ प्रार्थी को मेरी कब्जेशुदा उक्त भूमि से बेकब्जा करने पर उतारू हुई, और जमीन अवंटन की जानकारी

माह जनवरी 2022 में दी, जानकारी होने के बाद वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु वकील साहब से सम्पर्क किया वास्तविक स्थिति का पता लगा राजस्व रेकार्ड प्राप्त किया, और अविलम्ब यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहूलियत के लिये दफा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को मौजा उगमणा कोटडा, तहसील ऋषभदेव में स्थित आराजी नम्बर 551 रकबा 0.12 हैक्टेयर की जमीन जो विपक्षी संख्या 1 को आवंटित की गई है, के आवंटन को निरस्त फरमाया जाकर उसका अंकन राजस्व रेकार्ड में दर्ज फरमाया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं रहे।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं नजीर RBJ(5) 1998 page 554, RBJ (20) 2013 page 698, RRD Feb 2007 page 93, RBJ(14) 2007 page 492, RBJ(7)2000 page 547, RRD 1995 page 340, RRD 1994 page 311, RRT 2007(2) page 1048 पेश कर नवेदन किया कि वर्ष 2006 में आवंटन हुआ है। दो पत्रावलियां /आवेदन पेश हुये है दोनो में आवंटन हुआ तथा दोनो को एक दूसरे से छूपा लिया। आवंटन आवेदन में पूर्व की भूमि होना स्वीकार है। सवजीराम राजकीय कार्मिक होकर सरकारी सेवा में कार्यरत था। आवेदन में भूतपूर्व सैनिक लिखा हुआ है। आ.न. 551 एवं 557 पर कभी कब्जा नहीं रहा हमारा कब्जा चला आ रहा है। मौका पर्चा रिपोर्ट 24.01.2022 मे कब्जा अंकित किया है। मौके पर्चे के लोगो के एफीडेविट पेश किये है। मौके के फौटोग्राफ भी पेश किये है। ग्राम पंचायत गरनाला कोटडा की दिनांक 31.01.2022 की रिपोर्ट प्रस्तुत है। अतः आवंटन निरस्त किया जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया, पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टान्त आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से अध्ययन किया। प्रार्थीगण का तर्क है कि आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है एवं मौके पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं होकर कृषि नहीं की जा रही है। वर्णित भूमि आ.न. 551 पर प्रार्थी का कब्जा शुरू से चला आ रहा है। प्रार्थी का कथन है कि विपक्षी का पति सरकारी सेवामें भूतपूर्व सैनिक होते हुए भी प्रार्थी द्वारा आवंटन करा लिया गया है जिसे निरस्त किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा पत्रावली के साथ प्रस्तुत पटवारी गरनाला की रिपोर्ट दिनांक 28.01.2022 की प्रति का अवलोकन किया जिसमें आराजी नम्बर

551 पर हन्तु व इनके पुत्रों का किसी प्रकार से कोई कब्जा नहीं होकर प्रार्थीया हलिया पुत्र सवजी मीणा एवं नाना पुत्र अलखा का कब्जा होना बताया है। इससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि वर्णित भूमि में विपक्षीया का कब्जा नहीं रहा है। विपक्षीया को आवंटन आदेश 426/06 के आवंटन शर्तों में शर्त संख्या 5 ए " खासतौर आवंटन की शर्तों के अनुसार भूमि में काश्त नहीं करता है और न पूर्ण रूप से उसका उपयोग करता है । " की पालना नहीं गई है। पटवारी गरनाला द्वारा भी मौके पर आराजी नम्बर 551 पर हन्तु का कब्जा नहीं होना बताया है। विपक्षी बावजूद सूचना प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के खण्डन हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ जिससे भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षीया श्रीमती हन्तु बेवा सवजीराम मीणा को वर्णित भूमि आवंटन आदेश दिनांक 18.02.2006 को आवंटन हुई थी। मौके पर आवंटित भूमि पर विपक्षीया का कब्जा नहीं जिसकी पुष्टी पटवारी द्वारा की गई है। आवंटन की शर्त संख्या 5ए " खासतौर आवंटन की शर्तों के अनुसार भूमि में काश्त नहीं करता है और न पूर्ण रूप से उसका उपयोग करता है । " अर्थात् विपक्षीया द्वारा आवंटन शर्तों की पालना भी नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में आराजी नम्बर 551 में हन्तु बेवा सवजीराम का कब्जा नहीं होने से किया गया आवंटन निरस्त योग्य पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न होने पर इस प्रकरण पर चर्चा नहीं होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 अन्तर्गत नियम 14(4) का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम उगमणा कोटडा तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर की आराजी स. 551 रकबा 0.12 है. का आवंटन निरस्त किया जाता है एवं कथित भूमि को राजस्व अभिलेख मे बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार ऋषभदेव को निर्णय की प्रति भेजकर लेख है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर